

27-8-16

आज यह पत्रावली पेश हुई गैर सायल उपस्थित हुआ/नहीं हुआ। गैर सायल ने जवाब पेश किया/नहीं किया शामिल पत्रावली किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अप्रार्थी गीता <sup>W/O</sup> पुत्र

पन्दर जाति कुम्हार निवासी गजनेर  
न

ग्राम गजनेर के ख. न. 612 में है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कास्त की है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी राज. भू राज. अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी किया गया नोटिस अप्रार्थी से तामिल पत्रावली शामिल है अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली में शामिल किया प्रस्तुत सबूत के अनुसार जाहिर है कि अप्रार्थी ने राजकीय भूमि पर नाजायज कास्त की है।

अतः अप्रार्थी को गीता है राजकीय भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एक्ट प्रावधानानुसार 3.25 रु. है भूमि का भू राजस्व 1 रु. का पच्चास गुणा तावान 163 आर्थिक दण्ड दिया जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने कब्जाकास्त सरकार लेवे फसल निलामी पेश करने बाबत हल्का गिरदावर को आदेश दिया जावे। हल्का पटवारी को तावान वसूली कर जमा खजाने करवाने व चालान न. पेश करने बाबत लिखा जावे।

टी.आर.ए. को तावान कायमी की मांग दर्ज करवाई जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 27-8-16 को पेश की जावे। यह निर्णय दिनांक 27-8-16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**तहसीलदार (राजस्व)**  
कोलायत

21-11-16

पत्रावली पेश हुई। पीदापीन अरवि अमर पट  
झेने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 30-11-2016  
को पेश हो।

30/11/16

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का गजनेर से अरवि  
व अरवि की सुचना प्राप्त नहीं हुई है। पुनः  
पिता अमर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28-12-16  
को पेश हो।

**तहसीलदार (राजस्व)**  
कोलायत

रजिस्टर के पृष्ठ  
पर हजेरे 325  
क्रमांक 34 पर हजेरे  
की दर्ज की गई।  
for